कार्यालय जिला अधिकारी अमरोहा

1. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी।
3. खण्ड विकास अधिकारी, समस्त विकास खण्ड।

पत्रांक–सं0 जि0अधि0/त0नि0का0/प्रतिबन्ध/2020–21 दिनांकः 8.7.20

विषयः कोविड19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयो में धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8461 लखनऊ/ दिनांक 23.06.2020 एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासन आदेश 786/तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 महानिदेशक के पत्र संख्या–राज्य राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8375 दिनांक 13.04.2020 एवं पत्र संख्या–राज्य राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8388 दिनांक 11.05.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयो में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों मे तम्बाकू एवं पान मसाला के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जा चुके है।

आपको विदित है कि आज पूरा विश्व कोरोना (कोविड19) वैश्विक महामारी के विरूद्ध संघर्ष कर रहा है। अमरोहा भी इस संघर्ष से अलग नहीं है।

क्योकि सार्वजनिक स्थानो पर इधर–उधर थूंकने से कोरोना वायरस कोविड–19 को फैलने में सहायक हो सकता है। भारतीय दंड सहिता 1860 की धारा 269,270,278 में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियो के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या पडोस या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता है उस पर 500 रूपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है। कोटपा–2003 की धारा–4, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

जैसे कि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूमपान रहित तम्बाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करते है जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान–मसाला का सेवन सार्वजनिक स्थानो पर इधर–उधर थूंकने से कोरोना वायरस कोविड–19 के फैलने में सहायक हो सकता है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतो एवं ग्राम पंचायतो की बैठकों व कार्यालयो में धूमपान व पान–मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादो के उपयोग तथा पान–मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकडे जाने पर सुसंगत नियमो/उपनियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

8.7.20

जिला अधिकारी
अमरोहा ।

पत्रांकः–सं0 जि0अधि0/त0नि0का0/प्रतिबन्ध/2020–21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य नोड़ल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, अमरोहा को इस आश्य के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा ।
5. अधिशासी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

जिलाधिकारी
अमरोहा